भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 849
उत्तर देने की तारीख 04.12.2025

असम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय परियोजनाओं की स्थिति

849. श्री गौरव गोगोई:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि असम में स्वीकृत पंद्रह एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में से केवल एक विद्यालय ही वर्तमान में कार्यरत है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) शेष विद्यालयों के निर्माण और संचालन में देरी के कारण क्या हैं;

(ग) क्या 2024-25 में देशभर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए आवंटित रुपए 6,399 करोड़ में से केवल रुपए 1,719 करोड़ की राशि का ही उपयोग किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धन के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(घ) असम में सभी स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का समय से निर्माण और संचालन सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा न हो?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) असम में मंजूर किए गए 17 ईएमआरएस में से, निम्नलिखित छह ईएमआरएस वर्तमान में कार्यरत हैं:

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका
1	बक्सा	बरामा
2	बक्सा	जाला (पं.)
3	बारपेटा	बाजली
4	धेमाजी	जोनाई (मुर्कोंग्सेलेक)
5	दीमा हसाओ	हाफलोंग (दियांग घाटी)
6	कार्बी आंगलोंग	हावड़ाघाट लुम्बाजोंग (दिफू)

(ख) ईएमआरएस के निर्माण में देरी का मुख्य कारण उपयुक्त/बाधाओं से मुक्त भूमि उपलब्ध ना होने, उचित संपर्क सड़क का न होना, भौगोलिक स्थिति संबंधी चुनौतियाँ आदि हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 (आरई) के लिए राष्ट्रव्यापी ईएमआरएस के लिए कुल बजटीय आवंटन 4748.92 करोड़ रुपये था जिसमें से वर्ष के दौरान 4712.59 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(घ) असम में समय पर ईएमआरएस के निर्माण और उन्हें कार्यात्मक बनाने के लिए कई पहल की गई हैं: -

- क्रियान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी, राज्य सरकार की एजेंसियों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को ईएमआरएस का निर्माण कार्य सौंपा गया है।
- परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए व्यापक समीक्षा और निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।
- भूमि, वन निकासी और निर्माण कार्य में देरी करने वाले अतिक्रमण के मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय।
- प्रत्येक परियोजना के लिए अलग निलंब (एस्क्रो) खाता खोलने से भुगतान प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक किया जा सकता है।
- निर्माण गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष गुणवत्ता आश्वासन (टीपीक्यूए) एजेंसियां नियोजित की गई।
- ईएमआरएस की निर्माण लागत वर्ष 2021-22 में 440 नए स्वीकृत स्कूलों के लिए मैदानी क्षेत्रों में 37.80 करोड़ रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपये (पहले 20 करोड़ रुपये और 24 करोड़ रुपये से) बढ़ा दी गई थी।
- स्टाफ क्वार्टर, लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण, संपर्क सड़कों, जल सुविधाओं और पुराने ईएमआरएस में अन्य अवसंरचना संबंधी अंतरों (गैप्स) को दूर करने के लिए अनुच्छेद 275 (1) के तहत अतिरिक्त निधियां स्वीकृत की गईं।
- पूरी की गई और जिन इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है, उनसे संबंधी कमियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के लिए संरचनात्मक लेखापरीक्षण किया जाता है।

*****